न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस
अपील संख्या – 02/2018/223 आरटीए

1. संदीप कुमार पुत्र रामलाल जाति स्वामी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– अपीलांट

बनाम

1. रामलाल पुत्र जीवनराम जाति बैरागी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति बैरागी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सरोज पत्नि सुरेश पुत्री रामलाल जाति बैरागी निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का।
4. सुनीता पत्नि योगेन्द्र पुत्री रामलाल जाति बैरागी निवासी राजपुरा बाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जरिये राजस्थान सरकार।

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 18/2017 अनवानी संदीप कुमार बनाम रामलाल आदि

उपस्थित :–

श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट
श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 4
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5

निर्णय दिनांक 13.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 53 आरटीए पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 11 एमकेएस खाता सं. 92/75 मे 2.530 है0 नहरी खातेदारी भूमि दर्ज है। उक्त आराजी जद्दी जायदाद है। जिसमे वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का जन्म से हक व हिस्सा है। उक्त आराजी का पक्षकारान के मध्य बाहमी विभाजन हो चुका है। मुताबिक बाहमी विभाजन वादी को चक 11 एमकेएस के खाता सं. 92/75 के प.न. 182/230 कि.न. 17 ता 20 कुल 1.012 है0 व प्रतिवादी सं. 2 सुरेन्द्रकुमार को चक 1 एमकेएस खाता सं. 92/75 के प.न. 182/229 कि.न. 14, 17, 24 व प.न. 183/230 कि.न. 1, 2 कुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1.518 है0 भूमि प्राप्त हुई तथा इसी अनुसार अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। उक्तानुसार ही खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं खाता तकसीम बाबत अनुतोष चाहा गया। जिसमे समस्त प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा पक्षकारान द्वारा हाजिर होकर राजीनामा पेश किया गया तथा राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया तद्पपरांत दिनांक 30.05.17 को पत्रावली पैतृक सम्पति की दस्तावेजी साक्ष्य पेश करने हेतु 04.08.17 मुकर्रर की गई तथा विचारण न्यायालय द्वारा दावा मे वर्णित भूमि पैतृक भूमि न मानते हुए बिना बहस सुने वाद वादी साक्ष्य के अभाव मे खारिज किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत वाद मे वर्णित भूमि पैतृक भूमि होने के कथन किये है तथा दावा के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है तथा विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत राजीनामा मे भी सभी पक्षकारान ने उक्त भूमि पैतृक भूमि होना स्वीकार भी किया है। परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यो की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। विचारण न्यायालय मे पत्रावली मे तारीख पेशी 30.05.17 साक्ष्य हेतु मुकर्रर थी तथा आगामी पेशी 04.08.17 साक्ष्य हेतु मुकर्रर थी परन्तु विचारण न्यायालय ने बिना बहस सुने ही साक्ष्य के अभाव मे वाद खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय मे वाद प्रस्तुत करने के पश्चात सभी पक्षकारान का आपस मे राजीनामा भी विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया तथा अपीलांट ने राजीनामा प्रस्तुत होने के उपरांत अधिवक्ता से पूछा तो अपीलांट को कहा गया कि जब फैसला हो जायेगा तो आपको बता दिया जावेगा। तब अपीलांट अपने गांव आ गया तथा दिनांक 15.11.17 को अपने अधिवक्ता से पता किया तो अधिवक्ता ने बताया कि आपका वाद खारिज किया जा चुका है। तद्परांत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करके बिना किसी देरी के अपील प्रस्तुत की गई। इसलिये अपील प्रस्तुति मे हुई देरी को कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा बहस के अन्त मे आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी को स्वीकार कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात अपील के निस्तारण के सहायक सिद्ध होने का कथन करते हुए उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त कर घोषित किया जावें कि अपीलांट संदीप कुमार चक 11

एमकेएस के खाता सं. 92/75 के प.न. 182/230 कि.न. 17 ता 20 कुल 1.012 है0 व रेस्पो0 सं. 2 सुरेन्द्रकुमार चक 1 एमकेएस खाता सं. 92/75 के प.न. 182/229 कि.न. 14, 17, 24 व प.न. 183/230 कि.न. 1, 2 कुल 1.518 है0 का खातेदार काश्तकार है, इसी अनुसार खाता अलग से कायम किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेज नकल पर्चा खतौनी चक 12 एमकेएस, नकल जमाबंदी चक 8 एमकेएस खाता सं. 114/96 सम्वत 2071–74, फोटोप्रति बंटवारानामा पंजीकृत एसआर टिब्बी दिनांक 22.04.72, फोटोप्रति पर्चा लगान चक 11 एमकेएस, फोटोप्रति आवंटन आदेश दिनांक 29.03.93 चक 11 एमकेएस आदि अपील के निस्तारण मे सहायक दस्तावेज होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेज रिकार्ड पर लिये जाते है। पत्रावली का अवलोकन करने के उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया गया है कि ''वादपत्र के पैरा सं. 3 मे वादग्रस्त आराजी का जदी जायदाद होना अभिकथित किया है जबकि पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है। वाद मे न ही कही यह उल्लेखित है कि वादगत आराजी पैतृक सम्पति को बेचकर खरीदी गयी है। वादगत आराजी के पैतृक सम्पति साबित न होने से वादी को वादगत आराजी मे कोई अधिकार हासिल न होने से वाद कारण हासिल नही होता है। अतः वाद वादी साक्ष्य के अभाव मे साबित न होने व वाद कारण हासिल न होने से खारिज किया जाता है।'' जबकि अधीनस्थ न्यायालय पक्षकारान द्वारा वाद वादी को स्वीकार करते हुए राजीनामा प्रस्तुत किया गया था तथा सहमति स्वरूप मुताबिक राजीनामा वादपत्र स्वीकार किये जाने कथन किया गया था, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद अपीलांट खारिज कर दिया जिसकी पुष्टि की यथावत रखा जाना न्यायसंगत नही है।

6. अपील के दौरान अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि पैतृक होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये है जिनके अनुसार वादग्रस्त भूमि मे अपीलांट के दादा जीवनराम व जीवराम के भाईयो के नाम संयुक्त खाते मे दर्ज थी तथा जीवनराम द्वारा ही अपने जीवनकाल मे दिनांक 21.04.72 को बंटवारानामा निष्पादित करवाया गया था जो उपपंजीयक टिब्बी द्वारा पंजीबद्ध है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होना साबित है तथा वादग्रस्त

भूमि के संबंध मे अपीलांट के पूर्वज दादा जीवनराम द्वारा पंजीकृत बंटवारानामा भी निष्पादित किया गया है एवं पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध मे राजीनामा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, दौराने बहस रेस्पो0 रेस्पोडेंटस द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने मे अपनी सहमति प्रदान की है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 अपास्त किया जाता है तथा वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि अपीलांट संदीप कुमार चक 11 एमकेएस के खाता सं. 92/75 के प.न. 182/230 कि.न. 17 ता 20 कुल 1.012 है0 भूमि का व रेस्पो0 सं. 2 सुरेन्द्रकुमार चक 11 एमकेएस खाता सं. 92/75 के प.न. 182/229 कि. न. 7, 14, 17, 24 व प.न. 183/230 कि.न. 1, 2 कुल 1.518 है0 का खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही खाते अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी मुताबिक खाता तकसीम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने पर डिक्री पालना का आदेश जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0

अपील संख्या – 02/2018/223 आरटीए

1. संदीप कुमार पुत्र रामलाल जाति स्वामी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़। – अपीलांट

बनाम

2. रामलाल पुत्र जीवनराम जाति बैरागी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामलाल जाति बैरागी निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. सरोज पत्नि सुरेश पुत्री रामलाल जाति बैरागी निवासी झुमियावाली तहसील फाजिल्का।
5. सुनीता पत्नि योगेन्द्र पुत्री रामलाल जाति बैरागी निवासी राजपुरा बाला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
6. तहसीलदार राजस्व टिब्बी जरिये राजस्थान सरकार।

————रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी मु.न. 18/2017 अनवानी संदीप कुमार बनाम रामलाल आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री इन्द्राज गोदारा अधिवक्ता अपीलांट, श्री सुरेन्द्र सिहाग अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं. 1 ता 4 एवं श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.08.2017 अपास्त किया जाता है तथा वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि अपीलांट संदीप कुमार चक 11 एमकेएस के खाता सं. 92/75 के प.न. 182/230 कि.न. 17 ता 20 कुल 1.012 है0 भूमि का व रेस्पो0 सं. 2 सुरेन्द्रकुमार चक 11 एमकेएस खाता सं. 92/75 के प.न. 182/229 कि.न. 7, 14, 17, 24 व प.न. 183/230 कि.न. 1, 2 कुल 1.518 है0 का खातेदार काश्तकार है। उक्तानुसार ही खाते अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी मुताबिक खाता तकसीम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने पर डिक्री पालना का आदेश जारी हो।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 13.04.2018 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ